बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: संकल्प ::—

विषय :— राज्य की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर (Pay-Level) आधारित कालावधि का निर्धारण।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1800 दिनांक–09.06.2011 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए ग्रेड–पे आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है।

2. वर्त्तमान में सातवें वेतन आयोग के अनुशंसाओं के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सोपान में भी वेतन स्तर आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इस संदर्भ में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–08.01.2017 में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर न्यूनतम कालावधि निर्धारित करने से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है। इस पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि निर्धारित करने के उद्देश्य से दिनांक–01.01.2006 के पूर्व कर्मियों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित सेवा को ही छठे वेतन की अनुशंसा का आधार बनाया गया है तथा इसी को छठे वेतन पुनरीक्षण में संगत ग्रेड–पे में विस्तारित किया गया है। राज्याधीन सेवाओं में दिनांक–01.01.2006 के वेतनमान् को दिनांक–01.01.2016 के वेतनमान् से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं में प्रतिस्थापित करते हुए वेतन स्तर की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इस आधार पर प्रोन्नति के निमित्त वेतन स्तर आधारित कालावधि का पुनर्निधारण आवश्यक हो गया है।

3. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन समान वेतन स्तर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में वेतन स्तर आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तत्कालिक प्रभाव से लागू की जाय :—

क्रमांक	Levels		न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि)
	से	तक	
1	1	2	3 Years
2	2	3	3 Years
3	3	4	5 Years
4	4	5	5 Years
5	5	6	6 Years
6	6	7	5 Years
7	7	8	2 Years
8	8	9	2 Years
9	9	11	5 Years
10	11	12	5 Years
11	12	13	5 Years
12	13	13A	2 Years
13	13A	14	2 Years

ii. वेतन स्तर के लिए कालावधि निर्धारण हेतु वेतन उपर्युक्त कालावधि तालिका में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी सेवा अथवा संवर्ग में किसी एक लेवल से ठीक ऊपर के लेवल में प्रोन्नति नहीं देकर किसी अन्य उच्चतर वेतन स्तर में प्रोन्नति दी जा रही हो, अर्थात लेवल जम्प (Level Jump) हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में धारित वेतन स्तर से ऊपर के वेतन स्तर में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को जोड़ते हुए संयुक्त कालावधि के आधार पर न्यूनतम कालावधि निर्धारित की जा सकेगी। उदाहरण स्वरूप यदि वेतन स्तर–4 से वेतन स्तर–5 में प्रोन्नति न देकर वेतन स्तर–6 में प्रोन्नति दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वेतन स्तर–4 से वेतन स्तर–5 के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि 5 वर्ष में वेतन स्तर–6 के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि 6 वर्ष दोनों को जोड़ते हुए 5 + 6 = 11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी। उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर वेतन–स्तर (Pay-Level) में संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि (कार्यानुभव) है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर वेतन–स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नत कर दिया जायेगा। प्रोन्नति के लिए वरीयतर वेतन–स्तर (Pay-Level) में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

iii. कालावधि का एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा। परंतु सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रोन्नतियों तथा राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों अथवा किसी विशेष सेवा संवर्ग में राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति के लिए अलग से कालावधि का निर्धारण किया गया हो, तो इस प्रोन्नति में उपर्युक्त कालावधि का निर्धारण लागू नहीं होगा।

iv. निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना सम्भव नही हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतन स्तरों (Pay-Level) की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप Level-11 से Level-12 के वेतन स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और Level-12 से Level-13 के वेतन स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि Level-12 के वेतन स्तर (Pay-Level) से Level-13 के वेतन स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नति विचारणीय हो, तो Level-12 के वेतन स्तर (Pay-Level) में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न वेतन स्तर (Pay-Level) (या अपुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित वेतन स्तर (Pay-Level-12) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी अर्थात निम्न वेतन स्तर (Level-11) में निष्पादित सेवा 9 (नौ) वर्ष या इससे अधिक एवं धारित वेतन स्तर (Level-12) में न्यूनतम 1 (एक) वर्ष के कार्यानुभव होने के उपरान्त विचारणीय वेतन स्तर (Level-13) में प्रोन्नति दी जा सकेगी। धारित पद/वेतन स्तर में न्यूनतम 1 (एक) वर्ष के कार्यानुभव की शर्त्त में छूट नहीं दी जा सकेगी।

v. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन सं0 ए0बी0/14017/7/2008–स्थापना (आर0आर0) दिनांक 17 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में यथासमय एवं यथास्थिति राज्य सरकार उपर्युक्त रूप में निर्धारित कालावधि में छूट दे सकेगी। जहाँ तक छूट की मात्रा का प्रश्न है, प्रोन्नत पद के कुल स्वीकृत बल की जितनी प्रतिशत रिक्ति होगी, उस पद हेतु निर्धारित कालावधि में उतने प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी, परन्तु यह छूट निर्धारित कालावधि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उदाहरणतः यदि वेतन स्तर Level-9 से Level-11 में प्रोन्नति विचाराधीन हो तो उपर्युक्त तालिका के अनुसार निर्धारित कालावधि (5 वर्ष) में अधिकतम् 2½ वर्ष की छूट दी जा सकेगी। यह छूट आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों को समान रूप से प्राप्त होगी। प्रोन्नति हेतु निर्धारित अन्य शर्त्तें यथा विभागीय परीक्षा के उत्तीर्णता, सेवा सम्पुष्टि आदि लागू रहेगी। कालावधि में छूट हेतु प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

vi. कार्यहित में यथास्थिति उप कंडिका–(iv) एवं (v) में वर्णित प्रावधानों का लाभ एक साथ भी दिया जा सकता है।

vii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13295 दिनांक–28.09.2016 के कंडिका–5(iv) के अनुरूप अगले प्रोन्नत पद पर विधिवत/नियमित प्रोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम कालावधि में स्थानापन्न/तदर्थ/कार्यकारी प्रोन्नति के रूप में बितायी गयी अवधि को जोड़ा जा सकेगा।

viii. यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तद्नुरूप संशोधित कर लेगा। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस संलेख में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधित कार्यालयों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11 / वि04–काला0नि0छूट–03 / 2001 सा0प्र0 7433 पटना–15, दिनांक– 5:6:18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5/6/18

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11 / वि04–काला0नि0छूट–03 / 2001 सा0प्र0 7433 पटना–15, दिनांक– 5:6:18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना / सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

5/6/18

सरकार के अपर सचिव।